Schedule XXI Form No 87 S.N.....

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

Serial number of application16201.....

Date of application12/10/22.....

Name of applicantK. Kumar.....

.....

Feed paid

Signature of applicant

Date of deposit

Registering Officer

सब रजिस्ट्रार कार्यालय
दानापुर, पटना

Sub District Registry Office, Danapur

Non Encumbrance Certificate

RTPS No - 04552263981868963

प्रमाण पत्र सं0 16201

चुकि श्री Dr. Kumud Kamini ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित सव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता0 01/01/2007 से ता0 10/10/2022 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है–

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा	वार्ड नं.	खाता	खेसरा	रकवा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	टि0
1.	Danapur	Thana No. 23	Saguna	67	205		12 Katha= 37.5 Dec.						

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवगार को छोड, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य सव्यवहार और अवभार का पता नही चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

नाम Manoj Kumar
I.D.C.

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम Narendra Shukla
U.D.C.

कार्यालय Sub District Registry Office, Danapur तारीख 12/10/2022

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा दिये गये प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेज में दिखाया गया है, तो इन दस्तायेजों से प्रभावित सव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेगे।
2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते है तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारो के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वय करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रखा दी जायेगी।
3. किन्तु चुकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नही की है, इसलिए कार्यालय ने आपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी ने की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी;
4. और चुकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वय की है इसलिए उनके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

पत्रांक 16201 दिनांक – 12/10/2022

शाखा प्रबंधक LICHLF के पत्र दिनांक 29/09/2022 के आलोक मे प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर